राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

CSC
e-Governance Services India Limited

राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, नैसकॉम, उद्योग भागीदारों, यूनेस्को, शैक्षिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों के साथ सहयोग में।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान

देश के हर परिवार में एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना, माननीय प्रधानमंत्री के "डिजिटल भारत" अभियान का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान मुख्यतः सूचना एवं प्रद्योगिकी का प्रशिक्षण देश के प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित राज्य में चयनित ब्लॉक में हर उपयुक्त घर में एक व्यक्ति को आई सी टी प्रशिक्षण देना है। जिसके प्रथम चरण में 10 लाख व्यक्तियों को आई सी टी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रशिक्षु की जरूरत को प्रासंगिक बुनियादी आई सी टी कौशल प्रदान करना है। जिसके द्वारा नागरिकों को उनकी आजीविका के लिए आई सी टी और संबंधित अवसरों का उपयोग तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना है जिससे वे आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो सके।

इस अभियान को प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित राज्य में लागू करना है। राज्य/केंद्र शासित राज्य को तीन मुख्य भागों में उनके जनसँख्या की स्थिति के अनुसार अंकित किया गया है (ए, बी, सी वर्ग)। इस योजना को लागू करने के लिए 5 – 7 जिलों को ए वर्ग राज्य में, 4 – 5 जिलों को बी वर्ग राज्य में तथा 2 – 3 जिलों को सी वर्ग राज्य / केंद्र शासित राज्य में चयन किया जाएगा। 10 लाख नागरिकों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें से 1 लाख नागरिकों को उद्योग जगत, गैर सरकारी संस्थान तथा अन्य संस्थानों के संसाधन / कोर्पोरेट सोसल रेस्पोंसिबिलिटी – कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

डिजिटल साक्षरता की परिभाषा

"डिजिटल साक्षरता जीवन की परिस्थितियों के सार्थक कार्यों में डिजिटल तकनीक को समझने के लिए व्यक्तियों और समूदायों की क्षमता है"।

इस डिजिटल प्रक्षिशण को दो स्तरों में देने की योजना बनाई गयी है:

डिजिटल साक्षरता का मूल्यांकन (स्तर 1):
व्यक्ति को आई सी टी साक्षर बनाना ताकि वह कंप्यूटर/ डिजिटल डिवाइस (जैसे टैबलेट, मोबाइल इत्यादि) का उपयोग कर सके, ई–मेल प्राप्त और भेज सके तथा सूचना के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकें।

डिजिटल साक्षरता के बुनियादी (स्तर 2):
उच्च स्तर पर आई सी टी साक्षरता देने के अलावा, राज्यों, भारत सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–गवर्नेन्स सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षित करना।

सीखने के परिणाम या योग्यता मानक

डिजिटल साक्षरता का मूल्यांकन (स्तर 1):
डिजिटल साक्षर व्यक्ति निम्नलिखित विषयों में सक्षम होना चाहिए:

1. डिजिटल उपकरणों की मूल कार्यप्रणाली (शब्दावली, नेविगेशन और कार्यक्षमता) को समझ सके।
2. डिजिटल उपकरणों की जानकारी, उसका निर्माण, प्रबंधन तथा उपयोग कर सके।
3. इंटरनेट का प्रभावी तथा जिम्मेदार ढंग से उपयोग कर सके।
4. तकनीक का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए कर सकें।
5. रोजमर्रा की जिंदगी, सामाजिक जीवन तथा कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी की अहम् भूमिका को समझ सके।

डिजिटल साक्षरता के बुनियादी (स्तर 2):
स्तर 2 के तहत, कुछ आवश्यक और वैकल्पिक विषयों को परिभाषित किया गया है। कोर्स पूरा होने और तथा परिक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षार्थी अपनी पसंद के वैकल्पिक मॉड्यूल

चुन सकते हैं। स्तर 2 के तहत मॉड्यूल निम्नानुसार हैं:

आवश्यक मॉड्यूल

1. डिजिटल उपकरणों की मूल कार्यप्रणाली (शब्दावली, नेविगेशन और कार्यक्षमता) को समझ सके।
2. कंप्यूटिंग और संचार के लिए डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर सके।
3. तकनीक का इस्तेमाल सरकार और अन्य हितधारकों (जी 2 सी, सी 2 जी और जी 2 जी) के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए कर सके।
4. डिजिटल प्रौद्योगिकी में सतर्कता व सुरक्षा के मुद्दों को पहचान सके (सुरक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता तथा सामाजिक और मानवीय मुद्दे)।

पाठ्यक्रम अवधि

स्तर 1: 20 घंटे
(कम से कम 10 दिन तथा अधिक से अधिक 30 दिन)

स्तर 2: 40 घंटे
(कम से कम 20 दिन तथा अधिक से अधिक 60 दिन)

शिक्षा का माध्यम

स्तर 1 एवं 2: भारत की आधिकारिक भाषाएं

पात्रता मानदंड:

स्तर 1: आईटी निरक्षर – निरक्षर से 7 वीं कक्षा तक
स्तर 2: आईटी निरक्षर – कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण

आयु: 14 से 60 वर्ष

शुल्क

स्तर 1: अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /बीपीएल परिवारों के लिए निशुल्क तथा जनरल उम्मीदवारों के लिए सामान्य सेवा केन्द्र – सीएससी कोर्स की फीस 125 रुपये। बीपीएल परिवारों को 300 रुपये की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

स्तर 2: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल परिवारों के लिए निशुल्क तथा जनरल उम्मीदवारों के लिए सामान्य सेवा केन्द्र – सीएससी कोर्स की फीस 250 रुपये। बीपीएल परिवारों को 600 रुपये की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

प्रशिक्षण की जगह

अंकित परिवार, उनके परिवार से एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। चयनित व्यक्ति खुद को एक नजदीकी प्रशिक्षण केन्द्र/ सीएससी में इस कार्यक्रम के तहत रजिस्टर कर सकते हैं।

वैकल्पिक मॉड्यूल

1. बायोडाटा, ब्रोशर, व्यापार कार्ड, पत्र, निमंत्रण, इत्यादि बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग कर सके।
2. स्प्रेडशीट का उपयोग बजट, ग्राफ्स तथा चार्ट बनाने में कर सके।
3. गांव में विभिन्न मुद्दों के प्रदर्शन इत्यादि के लिए पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सके।
4. छवि, ऑडियो और वीडियो का निर्माण तथा संपादन कर सके।
5. इंटरनेट की मूल बातें, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, आदि के बारे में समझ सके।
6. इंटरनेट का उपयोग सामाजिक मीडिया के द्वारा संवाद तथा सहयोग के लिए कर सके।
7. रोजमर्रा की जिंदगी, सामाजिक जीवन तथा कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका की सराहना कर सके।

परीक्षा एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणित एजेंसी जैसे नाइलेट (NIELIT), एनआईओएस (NIOS), इग्नू (IGNOU) आदि से स्वतंत्र बाहरी मूल्यांकन कराया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट– राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान

सीएससी ई–गवर्नेन्स सर्विस इण्डिया लिमिटेड

3rd फ्लोर, इलेक्ट्रोनिक निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्पलेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली–110003